उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग , शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या–7868–गोपन(06)/पाकालि/13–1सा0गो0/13,

दिनांक 24 दिसम्बर, 13

गोपनीय/महत्वपूर्ण/स्पीड पोस्ट

1. प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
2. निजी सचिव निदेशक (वित्त, वितरण, पारेषण, कारपोरेट प्लानिंग, वर्क्स एण्ड प्रोजेक्ट्स),
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
3. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0पा0का0लि0, महानगर, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत),
उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन (विस्तार), लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्तागण (स्तर–01 एवं 02), उ0प्र0पा0का0लि0।
6. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/उपमहाप्रबन्ध (लेखा)/समस्त मुख्य एवं उप मुख्य लेखाधिकारीगण,
उ0प्र0पा0का0लि0।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्तागण/अधिशासी अभियन्तागण, उ0प्र0पा0का0लि0।
8. कारपोरेशन मुख्यालय/विस्तार स्थित समस्त अधिकारी/अनुभाग/शिविर कार्यालय।

विषय – <u>वार्षिक गोपनीय आख्याओं का ससमय अंकन एवं मुख्यालय में उनकी उपलब्धता मे हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–581–गोपन(06)/पाकालि/ 13–1सा0गो0/13, दिनांक 07.02.13, अनुस्मारक सं0–2000–गोपन(06)/पाकालि/ 13–1सा0गो0/13, दिनांक 15.05.13 एवं सं0–5884–गोपन(06)/पाकालि/ 13–1सा0गो0/13, दिनांक 12.08.13 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्ष 2012–13 हेतु अभियन्ता/गैर अभियन्ता संवर्ग के समस्त अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं के अंकन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी करते हुए सभी अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याएं निर्धारित समयावधि में कारपोरेशन मुख्यालय में प्राप्त कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

कारपोरेशन द्वारा समय–समय पर स्वांकन के प्रस्तुतिकरण एवं वार्षिक गोपनीय आख्या के अंकन की प्रकिया के निर्धारण विषयक निरन्तर जारी दिशानिर्देशों के बावजूद ऐसा संज्ञान में आ रहा है कि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय के प्रति अधिकारियों द्वारा पूरी गम्भीरता से निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप मुख्यालय स्तर से इस सम्बन्ध में पत्राचार किये जाने से अनावश्यक समय नष्ट होता है एवं आख्याओं की अनुपलब्धता के कारण कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण मे भी घोर बाधा उत्पन्न होती है।

कारपोरेशन के संज्ञान में आया है कि वार्षिक गोपनीय आख्याओं के अंकन में मुख्य रूप से प्रतिवेदक अधिकारीगण निर्धारित प्रकिया/नियमों का ससमय पालन नहीं कर रहें हैं तथा कई प्रकरणों में प्रतिवेदक अधिकारी जानबूझ कर आख्याएं अपने स्तर पर रोके रखते हैं। फलस्वरूप समीक्षक/सहसमीक्षक एवं अन्तिम अधिकारियों के मूल्यांकन सहित प्रश्नगत आख्याएं कारपोरेशन मुख्यालय तक पहुंचने में अत्याधिक समय लगता है।

कारपोरेशन द्वारा इस तथ्य को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए पुनः यह निर्देशित किया जाता है कि अब तक स्वांकन प्राप्त होने अथवा न होने दोनो ही स्थिति में प्रतिवेदक अधिकारी स्वयं अधीनस्थ अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याएं उक्त तथ्यों सहित अंकित कर समीक्षक अधिकारी को अविलम्ब अग्रसारित करें। इन आदेशों के उपरान्त भी यदि अभी तक प्रतिवेदक/समीक्षक/सहसमीक्षक अधिकारियों द्वारा अपनी गोपनीय प्रविष्टियों/मूल्यांकन सहित आख्याएं अन्तिम अधिकारी को नहीं प्रेषित की जाती हैं तो अन्तिम अधिकारी को अधिकृत किया जाता है कि वह स्वयं प्रतिवेदी की सत्यनिष्ठा प्रमाणित करने के साथ ही अपने मूल्यांकन/अभिमत सहित प्रश्नगत आख्याएं कारपोरेशन मुख्यालय को प्रत्येक दशा में दिनांक 20.01.14 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं इस विषय में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने वाले प्रतिवेदक/समीक्षक/सहसमीक्षक अधिकारी (जो भी उत्तरदायी हों) के नाम, अभिज्ञान संख्या एवं वर्तमान तैनाती स्थल भी कारपोरेशन मुख्यालय को सूचित करें, ताकि वास्तविक उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकें।

भवदीय,

(बी0बी0 श्रीवास्तव)
अपर सचिव–द्वितीय